<u>न्यायालय मुंसिफ, शाहपुर पटोरी</u>
<u>P.S. - 3/2025</u>
श्री मोहन राय उर्फ मोहन लाल राय
बनाम
श्री सहदेव राय एवं अन्य

21.02.2025 वादी की ओर से हाजरी दी गई। वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक –06.02.2025 को दाखिल संशोधन आवेदन को प्रचालित किया गया एवं कथन किया गया कि प्रार्थी वादी दिनांक 21.01.2025 को विभाजन वाद श्रीमान के न्यायालय में दाखिल किया है। मुकदमा दायर करने के बाद उक्त वाद वास्ते रिपोर्ट हेतु लंबित है। उक्त वाद में विवादित संपत्ति का मूल्य मो0 2,40,000 रू0 अंकित हो गया है। जबकि विवादित संपत्ति का मूल्य मो0 1,40,000 रू0 मात्र होना चाहिए, क्योंकि उक्त वाद वास्ते विभाजन का है व सभी जमीन धनहर है। टंकक त्रटि के कारण 1,40,000 रू0 के बदले 2,40,000 रू0 हो गया है। वाद पत्र के कंडिका 16 में विवादित संपत्ति मूल्य 2,40,000 रू0 के बदले 1,40,000 करना जरूरी है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि कंडिका 16 में दर्ज विवादित संपत्ति के मूल्य में सुधार करने हेतु आदेश देने की कृपा करें।

उक्त आवेदन पर विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि वाद पत्र में विवादित भूमि का मूल्य 2,40,000 रू0 अंकित हो गया है। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। वाद अभी तक ग्रहण नहीं किया गया है। वाद का आवेदन शपथ पत्र से संपुष्ट है। वादी वाद पत्र में विवादित भूमि का मूल्य 1,40,000 रू0 अंकित करना चाहते हैं। उक्त आवेदन को स्वीकृत करना वाद के उचित निष्पादन एवं न्याय निर्णय हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वादी का संशोधन आवेदन दिनांक 06.02.2025 न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी समयसीमा के अंदर वाद पत्र में संशोधन करें।

दिनांक–**27.02.2025** वास्ते करने संशोधन एवं सिरिस्तेदार प्रतिवेदन हेतु।

ले0

मुंसिफ